Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

50-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 13, 2025 (PHALGUNA 22, 1946 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 13th March, 2025

No. 11-HLA of 2025/16/4859.— The Haryana Prevention of Public Gambling Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 11-HLA of 2025

THE HARYANA PREVENETION OF PUBLIC GAMBLING BILL, 2025

A

BILL

to provide for the prevention and punishment of public gambling, keeping of common gambling house, betting in sports or elections, match fixing or spot fixing in sports in the State of Haryana and matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows: -

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Haryana Prevention of Public Gambling Act, 2025.

(2) It extends to the whole of the State of Haryana.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoints.

Definitions.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "bet" means any agreement, whether oral, written or otherwise between two or more parties concerning the occurrence or non- occurrence of an event, whether in the past, present or future, whose outcome is unknown to any or all of the parties at the time of agreement and the party making an incorrect prediction regarding the event's outcome shall be obligated to pay or forfeit a stipulated consideration to the other party or parties involved, which may be monetary or non-monetary;

(b) "betting" means an act of placing bet and shall include placing bet by means of electronic communication;

(c) "common gambling house" means a house, building, tent, vehicle or vessel as well as any computer network enabling information creation or providing information processing and storage, either through an intermediary or otherwise, whose owner, occupier or keeper makes it available for the purpose of gambling in exchange of some consideration, monetary or otherwise;

(d) “electronic communication” means electronic communication as defined under clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023);

(e) "gambling" means an act of betting or gaming or both;

(f) "game of chance" means any game where there is a preponderance of chance over skill;

(g) "game of skill" means any game where there is preponderance of skill over chance, which include game where success depends principally upon the superior knowledge, training, attention, experience and adroitness of the player, despite there being an element of chance:

Provided that the State Government may, notify any game to be included as game of skill;

(h) "gaming" means playing game of chance using instrument of gambling or otherwise, where any or all of the parties losing the game, shall pay or forfeit some consideration, monetary or non-monetary, in favour of any of the parties winning the game and shall not include game of skill;

(i) "instrument of gambling" means and includes any article, electronic apparatus, computer, electronic communication device, instrument, server or machine with their accessories used or intended to be used as a subject, and accessory or means of gambling, any document used or intended to be used as a register or record or evidence of gambling, the proceeds of any gambling, and any winning or prize in money or otherwise distributed or intended to be distributed in respect of any gambling;

(j) "match fixing" means and includes an intentional act of commission or omission by any person in relation to sports to extend undue favour, directly or indirectly, to any person or team including himself, against the basic spirit of game for some consideration or pecuniary gain or otherwise, and inter-alia includes,-

(i) instances where a player receives some consideration or pecuniary gain to under-perform or not to perform as per capacity;

(ii) instances where a player himself places bet in relation to the outcome of a match or the sporting events;

(iii) instances where a player shares information including inter-alia the composition of team, ground conditions, weather, probable result etc. to a betting syndicate; or

(iv) instances where a player alters ground conditions, for consideration or pecuniary gain other than legal remuneration;

Explanation.- For the purposes of this clause, ‘player’ means and includes every person involved in the organization of the game or match in whatever capacity including official, manager, physio-instructor, coach, referee, umpire, ground-men etc.

(k) "organized gambling syndicate" means a group of two or more persons, acting singly or jointly, as a syndicate or gang, organize, manage or control gaming or betting or match fixing or spot fixing as a continuing activity;

(l) “public place" means any place intended for use by or accessible to the public and includes any public conveyance;

(m) "Sanhita" means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act 46 of 2023);

(n) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(o) "spot fixing" means intentional manipulation of specific event or incident within a sporting event, whether or not such manipulation impacts the final outcome of the event, by any person for pecuniary or other wrongful gain.

(2) Words and expressions used but not defined in this Act shall have the same meaning assigned to them in the Sanhita and the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000).

Penalty for gambling.

3. (1) Whoever indulges in gambling at a public place or in a common gambling house or is found therein, shall be liable for imprisonment which may extend to one year or with fine up to ten thousand rupees or with both.

(2) Whoever has been previously convicted of an offence punishable under sub-section (1) and is subsequently found guilty of an offence punishable under said sub-section, shall be punished for the second or subsequent offence with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine which shall not be less than ten thousand rupees.

(3) Where in trial of an offence punishable under this section, it is proved that any person was present in a common gambling house, it shall be presumed, unless the contrary is proved, that he was present there for the purpose of gambling and shall be punished accordingly.

Penalty for owning or keeping or having charge of a common gambling house.

4. (1) Whoever, being the owner, occupier or keeper of a common gambling house or who indulges in financing, directly or indirectly for the operation of a common gambling house, shall be liable to imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and shall also be liable to fine up to one lakh rupees.

(2) Whoever has been previously convicted of an offence punishable under sub-section (1) and is subsequently found guilty of an offence punishable under said sub-section, shall be punished for second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine which shall not be less than two lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.

Penalty for match fixing and spot fixing in sports.

5. (1) Whoever indulges in match fixing or spot fixing in sports, shall be liable to imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.

(2) Whoever has been previously convicted of an offence punishable under sub-section (1) and is subsequently found guilty of an offence punishable under said sub-section, shall be punished for second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine which shall not be less than seven lakh rupees.

Penalty for abetment.

6. Whoever abets for an offence under this Act and if the act abetted is committed in consequence of the abetment, shall be punished in the same manner as if he himself had committed that offence under this Act.

Penalty for being a member of an organized gambling syndicate.

7. (1) Whoever is a member of an organized gambling syndicate, shall be liable to rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and shall also be liable to fine of five lakh rupees.

(2) Whoever has been previously convicted of an offence punishable under sub-section (1) and is subsequently found guilty of an offence punishable under said sub-section, shall be punished for second or subsequent offence with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years and shall also be liable to fine which shall not be less than five lakh rupees.

Penalty for giving false identity and address.

8. (1) Whoever is found indulging in gambling or any other offence under this Act, refuses or neglects to reveal his identity or gives false identity or cheats by pretending to be some other person or represents that he or other person is a person other than him or such other person really is, on being required to do so by a police officer, shall be liable to imprisonment for a term up to three years or fine of ten thousand rupees or with both.

(2) Whoever has been previously convicted of an offence punishable under sub-section (1) and is subsequently found guilty of an offence punishable under said sub-section, shall be punished for second or subsequent offence, with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than twenty thousand rupees.

Power to authorize police officer to enter, search and seize.

9. (1) Any Executive Magistrate or Gazetted Officer of Police having jurisdiction, shall have the power to authorize a police officer not below the rank of a Sub-Inspector to enter and search any place and all such persons, upon receipt of credible information or after such enquiry, as he may think necessary that offence under this Act has been or is being committed.

(2) Such police officer may arrest any person without warrant and also seize all the articles and money, etc. which are found therein and being used for the purpose of gambling.

Presumption with regard to seizure of instrument of gambling.

10. Whenever any instrument of gambling is found in a place being used for gambling, it shall be presumed that such instrument is being used for gambling and shall be considered as evidence of the fact that such place including house, enclosure, room, vehicle, vessel was and is being used by the organized gambling syndicate for gambling or being contrary to this Act, and that the person found owning, keeping or having the charge thereof, were members of such organized gambling syndicate until the contrary is proved.

Disposal of instrument of gambling.

11. Any instrument of gambling or any other property seized during investigation under this Act, shall be disposed off as per the provisions of chapter XXXVI of the Sanhita.

Attachment, forfeiture or restoration of property.

12. Any property derived or obtained, directly or indirectly, from the commission of any offence under this Act, shall be liable to be attached, forfeited or restored as per the provisions provided under section 107 of the Sanhita.

Witness indemnified.

13. Any person who being concerned in gambling contrary to this Act, and who is examined as a witness during the trial of any person for any offence under this Act, and who, upon such examination, in the opinion of the Court, makes true and faithful discovery, to the best of his knowledge, of all things as to which he was so examined shall thereupon receive from the said Court, a certificate in writing to that effect and shall be indemnified under this Act for anything done before that time in respect of such gambling.

Recovery of fine.

14. All fines imposed under this Act shall be recovered as per the provisions provided under section 461 of the Sanhita.

Protection of action taken in good faith.

15. No suit, prosecution or legal proceeding shall lie before any Court or Authority against any public servant for anything done or intended to be done in good faith in performance of duty in pursuance of the provisions of this Act.

Non-applicability of Act.

16. The State Government may, by notification in the Official Gazette, exempt any market from the application of the provisions of this Act.

Power to remove difficulties.

17. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing such difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislature.

Repeal and savings.

18. (1) The Public Gambling Act, 1867 (Central Act 3 of 1867), in its application to the State of Haryana, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding any such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under or in pursuance of the Act so repealed shall, in so far as it is not in consistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Whereas, gambling in India is governed by the Public Gambling Act, 1867, which is an archaic, British era law. The Law Commission of India in its 249th Report has termed this Law as obsolete and recommended that it be repealed. All the State Governments do possess power of making their own respective legislation as the subject matter comes under the State List under Seventh Schedule of the Constitution of India and many States have enacted their Public Gambling laws from time to time. The majority of the gambling laws in India are outdated because there has been a sea change in the form of gambling with use of electronic devices in view of advance technology and betting syndicates are playing havoc with the finance of general public as the legislation has not yet been updated. It has become necessary for introducing stringent punishment for those involved in organizing gambling. Therefore, a primary responsibility of regulating betting and gambling rests with the State.

A legislation i.e. ‘the Haryana Prevention of Public Gambling Bill, 2025’ to provide for prevention and punishment of public gambling, keeping of common gaming-houses, betting in sports or elections, match fixing or spot fixing in sports and matters connected therewith or incidental thereto or of like nature in the State of Haryana and to achieve the object of saving the public at large from becoming victim of fraud committed by any such activity, is required.

Hence, this Bill

NAYAB SINGH,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 13th March, 2025.

DR. SATISH KUMAR,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 11–एच०एल०ए०

हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2025

हरियाणा राज्य में सार्वजनिक द्यूत, सामान्य द्यूत घर चलाने, खेलों और चुनावों में सट्टेबाजी, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पाट फिक्सिंग की रोकथाम करने और दण्ड देने के लिए और इससे सम्बन्धित या इसके आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "सट्टा" से अभिप्राय है, किसी घटना के घटित होने या नहीं होने सम्बन्धी दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच में कोई करार, चाहे मौखिक हो, लिखित हो या अन्यथा से हो, चाहे भूतकाल में हो, वर्तमान में हो या भविष्य में हो, जिसका परिणाम करार के समय किसी या किन्हीं पक्षकारों को ज्ञात नहीं हो और किसी घटना के परिणाम के सम्बन्ध में कोई असत्य अनुमान लगाने वाला पक्षकार, सम्मिलित अन्य पक्षकार या पक्षकारों को नियत प्रतिफल, जो मौद्रिक या अमौद्रिक हो सकता है, का भुगतान या समपहरण करने हेतु बाध्य होगा;

(ख) "सट्टेबाजी" से अभिप्राय है सट्टा लगाने का कोई कृत्य और इसमें इलेक्ट्रोनिक संसूचना के साधनों द्वारा सट्टा लगाना भी शामिल है;

(ग) "सामान्य द्यूत घर" से अभिप्राय है, किसी घर, भवन, तम्बू, वाहन या पोत के साथ–साथ कोई कम्प्यूटर नेटवर्क, जो सूचना सृजन को समर्थ बनाता है या प्रसंस्करण और भण्डारण उपलब्ध करवाता है, जिसका स्वामी, अधिभोगी या रखवाला या तो किसी मध्यवर्ती के माध्यम से या अन्यथा से कुछ प्रतिफल, मौद्रिक या अन्यथा के बदले में द्यूत के प्रयोजन के लिए इसे उपलब्ध करवाता है;

(घ) "इलेक्ट्रोनिक संसूचना" से अभिप्राय है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (i) में यथा परिभाषित इलेक्ट्रोनिक संसूचना;

(ङ) "द्यूत" से अभिप्राय है, सट्टेबाजी या गेमिंग का कोई कृत्य या दोनों;

(च) "सम्भावना का खेल" से अभिप्राय है, कोई ऐसा खेल जहां कौशल पर सम्भावना की प्रबलता है;

(छ) "कौशल का खेल" से अभिप्राय है, कोई ऐसा खेल जहां कौशल पर सम्भावना की प्रबलता है, जिसमें ऐसे खेल भी शामिल है, जहां सम्भावना का कोई तत्व होने के बावजूद भी सफलता, खिलाडी के सर्वोतम ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यान, अनुभव और चतुरता पर मुख्य रुप से निर्भर है;

परन्तु राज्य सरकार किसी खेल को कौशल के खेल के रुप में शामिल करने के लिए अधिसूचित कर सकती है;

(ज) "गेमिंग" से अभिप्राय है, द्यूत के उपकरणों का उपकरणों का प्रयोग करके या अन्यथा से सम्भावना का खेल खेलना, जहां खेल हारने वाला कोई भी पक्षकार या सभी पक्षकार, खेल जीतने वाले किन्हीं भी पक्षकारों के पक्ष में कुछ प्रतिफल, मौद्रिक या अमौद्रिक, का भुगतान या समपहरण करेंगे और इसमें कौशल का खेल शामिल नहीं है;

(झ) "द्यूत उपकरण" से अभिप्राय है और इसमें शामिल हैं, किसी वस्तु के रुप में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित की सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स यंत्र, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रोनिक संसूचना युक्ति, उपकरण, उपसाधनों के साथ सर्वर या मशीन, और द्यूत के रजिस्टर या रिकार्ड या साक्ष्य के रुप में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित द्यूत का कोई उपसाधन या साधन, कोई दस्तावेज, किसी द्यूत के आगम, किसी द्यूत के सम्बन्ध में वितरित की गई या वितरित किए जाने के लिए आशयित धन के रुप में जीत की कोई राशि या पुरस्कार;

(ञ) "मैच फिक्सिंग" से अभिप्राय है तथा इसमें शामिल हैं, कुछ प्रतिफल या आर्थिक लाभ के लिए या अन्यथा से खेल की मूल भावना के विरुद्ध, स्वयं सहित किसी व्यक्ति या टीम को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अनुचित पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए खेलों के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया गया कोई कृत्य या चूक, और अन्य बातों के साथ इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं,—

(i) ऐसी घटनाएं, जहां खिलाड़ी समर्थता के अनुसार प्रदर्शन करके या प्रदर्शन नहीं करके कुछ प्रतिफल या आर्थिक लाभ प्राप्त करता है;

(ii) ऐसी घटनाएं, जहां खिलाड़ी किसी मैच या खेल प्रतियोगिताओं के परिणाम के सम्बन्ध में स्वयं के लिए सट्टा लगाता है;

(iii) ऐसी घटनाएं, जहां खिलाड़ी सट्टेबाज सिंडीकेट के साथ कोई सूचना साझी करता है, जिसमें अन्य बातों के साथ टीम का गठन, मैदान की परिस्थितियों, मौसम, सम्भाव्य परिणाम इत्यादि शामिल हैं; या

(iv) ऐसी घटनाएं, जहां खिलाड़ी विधिक परिणाम से भिन्न, प्रतिफल या आर्थिक लाभ के लिए मैदानी परिस्थितियों को परिवर्तित करता है।

व्याख्या.— इस खण्ड के प्रयोजनों हेतु 'खिलाड़ी' से अभिप्राय है और इसमें शामिल हैं कर्मचारी, प्रबन्धक, शारीरिक—अनुदेशक, कोच, रेफरी, अंपायर, ग्राऊन्ड मैन इत्यादि सहित किसी भी हैसियत से खेल या मैच के आयोजन में सम्मिलित कोई व्यक्ति;

(ट) "संगठित द्यूत सिंडीकेट" से अभिप्राय है, निरन्तर गतिविधि के रुप में गेमिंग या सट्टेबाजी या मैच फिक्सिंग या स्पाट फिक्सिंग को आयोजित, प्रबन्धित या नियन्त्रित करने वाले सिंडीकेट या गैंग के रुप में अकेले ही या संयुक्त रुप से कार्य करने वाला दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह;

(ठ) "सार्वजनिक स्थान" से अभिप्राय है, जनसाधारण द्वारा उपयोग या की पहुंच के लिए आशयित कोई स्थान तथा इसमें कोई सार्वजनिक वाहन भी शामिल है;

(ड) "संहिता" से अभिप्राय है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46);

(ढ) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(ण) "स्पाट फिक्सिंग" से अभिप्राय है, किसी खेल प्रतियोगिता में विशेष संयोग या प्रसंग का आशयित अभिचालन चाहे ऐसा अभिचालन, आर्थिक या अन्य दोषपूर्ण लाभ हेतु किसी व्यक्ति द्वारा प्रतियोगिता के अन्तिम परिणाम को प्रभावित करता है या नहीं करता है;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त, किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा, जो संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21) में उन्हें दिया गया है।

3. (1) जो कोई भी किसी सार्वजनिक स्थान पर या सामान्य द्यूत घर में द्यूत में लिप्त है या उसमें पाया जाता है, तो कारावास, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या दस हजार रुपए तक के जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा। द्यूत के लिए दण्ड।

(2) जो कोई भी उप—धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और उसके बाद उक्त उप—धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो दस हजार से कम नहीं होगा, से भी दायी होगा।

(3) जहां इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध के विचारण में, यह सिद्ध हो जाता है कि किसी सामान्य द्यूत घर में कोई व्यक्ति उपस्थित था, तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं होता, यह अनुमान लगाया जाएगा कि वह सट्टेबाजी के प्रयोजन हेतु वहां उपस्थित था और तदानुसार दण्डित किया जाएगा।

किसी सामान्य द्यूत घर का स्वामित्व रखने या चलाने या प्रभार रखने के लिए दण्ड।

4. (1) जो कोई भी किसी समान्य द्यूत घर का स्वामी, अधिभोगी या रख़वाला होते हुए या जो किसी सामान्य द्यूत घर के संचालन के लिए वित्तपोषण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से , में लिप्त है, तो कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और एक लाख रुपए तक के जुर्माने से भी दायी होगा।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और बाद में उक्त उप–धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, से भी दायी होगा।

खेलों में मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग के लिए दण्ड।

5. (1) जो कोई भी खेलों में मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में लिप्त है, तो कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और जुर्माने, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, से भी दायी होगा।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और बाद में उक्त उप–धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो सात लाख रुपए से कम नहीं होगा, से भी दायी होगा।

दुष्प्रेरण के लिए दण्ड।

6. जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दुष्प्रेरण करता है और यदि दुष्प्रेरित कृत्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरुप किया जाता है, तो उसी रीति में दण्डित किया जाएगा मानो उसने स्वयं इस अधिनियम के अधीन वह अपराध किया था।

संगठित द्यूत सिंडीकेट का सदस्य होने के लिए दण्ड।

7. (1) जो कोई भी किसी संगठित द्यूत सिंडीकेट का सदस्य है, तो कठोर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डनीय होगा और पांच लाख रुपए के जुर्माने से भी दायी होगा।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और बाद में उक्त उप–धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो पांच लाख रुपए से कम नहीं होगा, से भी दायी होगा।

मिथ्या पहचान तथा पता देने के लिए दण्ड।

8. (1) जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन द्यूत अथवा किसी अन्य अपराध में लिप्त पाया जाता है, अपनी पहचान को बताने से इनकार करता है या अपेक्षा करता है या मिथ्या पहचान देता है या कोई अन्य व्यक्ति होने का दिखावा करके धोखा देता है या यह दर्शाता है कि वह या अन्य व्यक्ति उससे भिन्न कोई व्यक्ति है या ऐसा अन्य व्यक्ति वास्तव में उससे भिन्न है, जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास या दस हजार रुपए के जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई भी उप– धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले ही दोषसिद्ध किया जा चुका हो और बाद में उक्त उप–धारा के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, तो द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने, जो बीस हजार रुपए से कम नही होगा, से भी दायी होगा।

पुलिस अधिकारी को प्रवेश करने, तलाशी लेने और जब्त करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति।

9. (1) अधिकारिता रखने वाला कोई भी कार्यवाही मजिस्ट्रेट या राजपत्रित पुलिस अधिकारी को किसी पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक की पदवी से नीचे का न हो, को विश्वनीय सूचना की प्राप्ति पर या ऐसी जांच करने के बाद, जो वह आवश्यक समझे कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है या किया जा रहा है, किसी स्थान पर प्रवेश करने और सभी ऐसे व्यक्तियों की तलाशी लेने के लिए अधिकृत करने की शक्ति होगी।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है और सभी सामग्रियों और धनराशि इत्यादि को भी जब्त कर सकता है, जो उसमें पाई जाती हैं और द्यूत के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जा रही हों।

10. जब कभी किसी स्थान पर द्यूत का कोई उपकरण, द्यूत के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा उपकरण, द्यूत के लिए प्रयोग किया जा रहा है और तथ्य के साक्ष्य के रुप में माना जाएगा कि ऐसा स्थान, जिसमें घर, बाड़ा, कक्ष, वाहन, पोत शामिल हैं, द्यूत के लिए अथवा इस अधिनियम के प्रतिकूल संगठित द्यूत सिंडीकेट द्वारा प्रयोग किया जा रहा था और किया जा रहा है, और यह कि इसका स्वामित्व रखने, को चलाने या का प्रभार रखने वाला व्यक्ति, ऐसे संगठित द्यूत सिंडीकेट का सदस्य था जब तक प्रतिकूल सिद्ध नहीं होता। द्यूत उपकरण की जब्ती के संबंध में उपधारणा।

11. इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण के दौरान जब्त की गई द्यूत के किसी उपकरण अथवा किसी अन्य सम्पति का निपटान, संहिता के अध्याय XXXVI के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा। द्यूत उपकरणों का निपटान।

12. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के होने पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उत्पन्न हुई या प्राप्त की गई कोई सम्पत्ति, संहिता का धारा 107 में दिए गए उपबंधों के अनुसार कुर्की, समपहरण या प्रत्यावर्तित किए जाने के ले दायी होगी। सम्पत्ति की कुर्की, समपहरण या प्रत्यावर्तन।

13. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रतिकूल द्यूत खेलने में लिप्त है, और जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के विचारण के दौरान साक्षी के रुप में परीक्षित किया जाता है, और जो ऐसी परीक्षा पर, न्यायालय की राय में, उन सभी बातों के बारे में, जिनके लिए उसे इस प्रकार परीक्षित किया गया था, अपने सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सच्चाई और ईमानदारी का प्रकटीकरण करता है, तो उक्त न्यायालय से उस आशय का एक लिखित प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा और ऐसा द्यूत खेलने के संबंध में उस समय से पूर्व की गई किसी बात के लिए इस अधिनियम के अधीन उसका परित्राण किया जाएगा। साक्षियों का परित्राण।

14. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित सभी जुर्मानों की वसूली, संहिता धारा 461 के अधीन दिए गए उपबन्धों के अनुसार की जाएगी। जुर्माने की वसूली।

15. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में कर्तव्य के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी लोक सेवक के विरुद्ध किसी न्यायालय या प्राधिकरण के प्रमुख कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ नहीं हो सकेंगी। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

16. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी बाजार को इस अधिनियम के उपबन्धों के लागू होने से छूट प्रदान कर सकती है। अधिनियम का लागू न होना।

17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रुप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्‌अंसगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो: कठिनाईयां दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद, यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

18. (1) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 (1867 का केन्द्रीय अधिनियम 3), हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन या उसके अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात या किसी कार्रवाई को, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्‌असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

जबकि, भारत में द्यूत, सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 द्वारा शासित है, जो एक पुराना, ब्रिटिश युग का कानून है। भारत के विधि आयोग ने अपनी 249 वीं रिपोर्ट में इस कानून को अप्रचलित करार करते हुए इसे निरस्त करने की सिफारिश की है। सभी राज्य सरकारों के पास अपने–अपने कानून बनाने की शक्ति है क्योंकि विषय वस्तु भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में आती है और कई राज्यों ने समय–समय पर अपने सार्वजनिक द्यूत कानून बनाए हैं। भारत में अधिकांश द्यूत कानून पुराने हो चुके हैं क्योंकि उन्नत तकनीक के मद्देनजर इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के उपयोग के साथ द्यूत के रुप में बहुत बड़ा बदलाव आया है और सट्टेबाजी करने वाले सिंडिकेट आम जनता के वित्त के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि कानून का अभी तक अद्यतन नहीं किया गया है। द्यूत आयोजित करने में शामिल लोगों के लिए कड़ी सजा शुरु करना जरुरी हो गया है। इसलिए, सट्टेबाजी और द्यूत को विनियमित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य पर है।

हरियाणा राज्य में सार्वजिक द्यूत, साझा जुआघरों का संचालन, खेलों या चुनावों में सट्टा लगाना, खेलों में मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग तथा इससे संबंधित या इसके आनुषांगिक या इसी प्रकार की प्रकृति के मामलों की रोकथाम और दण्ड का प्रावधान करने तथा आम जनता को ऐसी किसी गतिविधि द्वारा की गई धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक कानून अर्थात् 'हरियाणा सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक, 2025' की आवश्यकता है।

अतः, यह विधेयक प्रस्तुत है।

नायब सिंह,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 13 मार्च, 2025.

डॉ० सतीश कुमार,
सचिव।

11729—H.V.S.—H.G.P., Pkl.